

भुगतान का तरीका* অৰ্থ প্ৰদান পদ্ধতি*

নিজের ইউএসএফবি অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ডেবিট

TERM DEPOSIT FORM

FOR INDIVIDUAL & NON-INDIVIDUAL EXISTING CUSTOMER (PLEASE FILL THE FORM IN BLOCK LETTERS ONLY)

(A Scheduled Commercial Bank)	FIELDS IVIANCED. AND IVIAIN	IDATURT.	
Date : DD MM Y Y Y Y S देतांक : डाहिय:	<u>ভা</u>	c No. :	
A/c. to be opened at: खाता यहाँ खोला जाना चाहिए:			
Branch Name शाखा का नाम श	Branch Sourcing Branch Name* ভাষা কাঙ্ক মার্মিন গােষ্কা কা নাম* উত্স শাখার নাম*		Sourcing Branch Code* सोसिंग शाखा का कोड* উত্স শাখার কোড*
「ype of A/c*: Single Joint Fixed Depos ৱার কা प्रकार* : एकल संयुक्त साविध जम ম্যাকাউন্টের প্রকৃতি*: ^{একক} যৌথ স্থায়ী জ্	n (Non-callable) (Non-callable) रेव एफडी प्लस टीडी प्लस	Tax Saver FD Recurring Deposit IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Others (pls. specify) अन्य (कृषया निर्देष्ट करें) अन्तर्गान्ग (अनुसर करा श्रृनिविकेशाद উद्धान करन)
A/c Sub-type*: Normal রামা उप-प्रकार*: মাদান্য আমা उप-प्रकार*: মাদান্য আমা उप-प्रकार*: মাদান্য আমা উচ্চ কি প্রবাণ নাগরিক প্রবীণ নাগরিক আমাক কর্মাক	est, ensure ds.) तिर, मुनिश्चित कर्मचारी अपेक (di करोड स्पर्थ : पट की गई है। कर्म	term deposits of rore and above) force and above) for set affiliate ৰী যা এলা কীব্ৰ: যা কলা কীব্ৰ জেলা কুলি চালাব কেলা ড:	
A) PERSONAL DETAILS* व्यक्तिगत विवरण* राङ्गिशठ विवरण*			
प्राथमिक धारक शीर्षक (श्री /सुश्री / डॉ.) पूरा नाम (कृ	ase leave space between words) मया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें) (भूठि भरभव आरबा कौक वांशरवन)	CIF ID মীরার্ছফে রার্ছরী সিআইএফ আইডি	
संयुक्त धारक 1 शीर्षक (श्री /सुश्री / डॉ.) पूरा नाम (कृ	ase leave space between words) দ্যা গৰ্বী ক ৰীঘ जगह छोड़ दें) (দুটি শব্দের মাঝে ফাঁক রাখবেন)	CIF ID सीआईएफ आईडी जिवाईश्वक व्याईडि	Relationship with Primary Holder प्राथमिक धारक के साथ संबंध প্রাথমিক ধারকের সঙ্গে সম্পর্ক
संयुक्त धारक 2 शीर्षक (श्री /सुश्री / डॉ.) पूरा नाम (कृ	ease leave space between words) पया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें) (पूर्व भर्प्यत प्रांत्य होक त्रांश्टब्स)	CIF ID सीआईएफ आईडी निजारें कर जारें डि	Relationship with Primary Holder प्राथमिक धारक के साथ संबंध প্राथमिक धारक्त সঙ্গে সম্পর্ক
संयुक्त धारक 3 शीर्षक (श्री /सुश्री / डॉ.) पूरा नाम (कृ	ease leave space between words) मया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें) (भूठि भर्मित भारत कोंक ताथरवन)	CIF ID सीआईएफ आईडी निजाईएफ आईडी निजाई-धर्म जांशिंड	Relationship with Primary Holder प्राथमिक धारक के साथ संबंध প্राथमिक शहरकर সঙ্গে সম্পর্ক
PAN Number Only for primary applicant 년리 리접 현대 의접 한 위치 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접 한 의접	Form 60 Only for primary applicant एमॉर्स 60 केवार प्रधानिक आधीरक के लिए र्रम्भ ५०० रम्भ		
(Please ✓one) स्वयं दोनों में से कोई या व	yone or survivor Jointly संयुक्त कर्ता विञ्ञान कर्षे अकाम संयुक्त अविभ्रम्त पर् कर्जा (এইচই) Minor self अवयस्क स्वयं नावानक निष्क	(हिंदू अन्य (कृप स्वार)	. specify) যা নির্কিৎ কর্ম) থং করে সুনিধিছভাবে উল্লেখ কঙ্গন)
C) DEPOSIT/STANDING INSTRUCTIONS*:			7
जमा/स्थायी अनुदेश*: জমা/ স্থায়ী নির্দেশ*:			
Deposit/Installment Amount (FD/RD): जमा/किस्त राशि (एफडी/आरडी): बन्ना/ কিন্তি নগদ (এফডি/আরডি): Amount (in words)	RD SI Date: সামঙ্গী एমসার্ছ (Frequency of SI will be monthly) বিনাক: (খমগার্হ না সাব্দি নামিক होगी) আরডি এসআই (এসআই-এর আবর্ড মাসিক হবে) তারিখ:	ब्याज की दर: % 3	d: Months प्रविद्यः महीने प्रमासकाल: भाग (days should not be mentioned for RD) (आरडी के लिए दिनों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए) (आरडिव क्लांट मिन मरशा डिप्सर कही दशाबन त्में)
राशि (शब्दों में) অर्थ পরিমান (क्यांश निभून)			
Auto renewal : Y No auto renewal for Recurring Deposits) स्वतः नवीनीकरण: (यदि हाँ) परिपक्वता निर्देश: मूलधन और ब्याः स्वतीनीकरण: (यपि श्री श्री) (भ्राम উजीर्लंश निर्दर्भ : भूल होका এ स्वतः नवीनीकरण: (यपि श्री) श्री (भ्राम जिल्हें स्वतः नवीनीकरण नहीं)	ज का नवीनीकरण करें 🔲 मूलधन नवीनीकृत करें ।	Interest Payout: At Matur (No auto renewal for Recurring Depo ब्याज भुगतान: परिपक्तता (आर्वी जग के लिए कोई स्वतः नवीकरण भूगारण अर्थश्रमान: (अशा फंडी) रेट (स्वर्णकी साम्प्रकारण स्वतः स्वतिकारण कृष्णिकरण	itis) मासिक त्रैमासिक प्र पर प्राप्तिक देवभात्रिक লো (ব্লুমানিক
প্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনন্বীকরণ: কেন্ত্রি আন্তর্জ কেন্ত্রে ক্রেক্টিক্রাব নুন্দিক্তর বংবা)		•	
TDS Details: Deduct TDS	জি/১৫এইচ আয়কর ছাড়ের প	त्र जूट पत्र की वै व इाए পरावत रे	uan DDD MM M Y Y Y Y
Note: 1) Interest payment is subject to RBI guidelines from time to time. 2) Please refer the latest interest r गोट: 1) ब्याज कृपताना समय-समय पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन हैं। 2) कृपया शाखा में नवीनतम ब्याज दर बहुष: 2) कृपतान मनदा मनदा आरबीब्य-डब शहेकादिन मारण्य हरा। 3) बहुबार करता माध्य मर्दण मृतन शरव छटि राष्ट्रा कथा www.ukansh.t	चार्ट देखें या www.utkarsh.bank पर जाएं। 3) ब्याज भुगतान स्रोत पर कर कटौत		
D) INITIAL PAYMENT DETAILS* प्रारंभिक भुगतान विवरण* প্রাথমিক অর্থ প্রদানের বিবরণ*			
Mode of Payment* Cheque Direct Debit from own Us भुगतान का तरीका* चेक अपने यूएसएफबी खाते से प्रत्य		vn A/C with other bank) वैंक के साथ अपने खाते से)	

এনইএফটি/আরটিজিএস (অন্যান্য ব্যক্ষের নিজের অ্যকাউন্ট থেকে)

Amount*in case of Cash/NEFT/RTGS/Direct debit	(In wor				
राशि * कैश(जन्हेंपफटी/आरटीजीएस/ प्रत्यक्ष डेबिट के मामले में जिला*	(কথায় লি				
Cheque No.	Cheque Date D D M M	Y Y Drawn on D D	MMYY	Bank Name	Branch शाखा
in case of Cheque चेक ते संख्या चेक के मामले में (ऊर्क नयद	चेक की तारीख	्रिस पर आहरित र्वाटिय स्थाप्त श्रेप्तर		র্বীক কা নাম ব্যক্তের নাম	শাখা
Please Debit My Account No. ———————————————————————————————————					
कृपया मेरी खाता संख्या डेबिट करें। 'धरबा अंतरण के मामले में यूएसएफबी खाता सख्या जनुर्धेट करत जाभात ज्याकांच्ये नयत त्थरक ८७विंगे कक्रन 'अताबि दशाख्यत (क्या देवेडमध्येन बाजावेडों					
Account No. & Name* *other own bank a/c in case of NEFT/RTGS खाता संख्या और नाम* *पन्देण्या/आर को मामसे में अन्य बैंकों में स्वयं के खाते खाजिकों ने नद्द अदर नाम* *अव्यवकारिकारिक के मामसे में अन्य बैंकों में स्वयं के खाते खाजिकों ने नद्द अदर नाम*	Account No./ खाता सं./	/ অ্যাকাউন্ট নম্বর		Name / ਜਾਂਸ / ਜਾਂਸ	
RTGS/NEFT UTR No.* आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नंबर* আরটিজিএস/এনইএফটি ইউটিআর নম্বর*				Applicant(s) Signature only fr	
Date of Transaction* in case of CashNEFT/RTGS/Direct debit लेन-देन की तारिख* केशायनईएफडीआरटीओएस/ प्रत्यक्ष डेबिट के मामले में लिन(म्(न्पूर्त जीतिश्* न्यस्थ्यदेश्मी व्यक्तिक्षित्र प्रत्यक्ष हैक्ट	MYYYY	Value Date मूल्यन दिनांक ভाালু তারিখ	YYYY	આદવનમંત્રાકા સામક દુષ્યવનાથ મહત્વક	ज्यास्त्राच्याः दयदम् नद्यानाम् द्याराज्यः दयन्त्रः
E) REPAYMENT DETAILS* Please Credit पुनर्श्रुगतान विवरण* कृपया एफडी/आरडी परि পরিশোধের বিবরণ* অনুগ্রহ করে পরিপক্ষ হলে এফডি	पक्वता को इसमें क्रेडिट करें:				
1. Account No. (With USE) खाता सं. (युरसरफर्स के साथ) आतिकिंके नयद (विकासकरित पर) 3. Account with other bank:	7/41/81/9 CEP1/91/9 4/5/P4	2. Through গ্রীগ্রী ক দ ডিডি-র মাধ্য Account N	ाध्यम से it will be del यदि डिमांड डू तो इसे प्राथि यदि अनिश्वकातः श्रीधीयक पातस्का	maturity/Interest payout opted through Demand Draft, ivered to registered mailing address of primary holder. पट के माध्यम से परिषयवताध्याज अगतान ना विकस्य चुना कि धासक के पेजीकृत पत्राचार पत्रे पर दिया किया जायागा अर्थ तमारु माध्यक्ष अर्थकान द्वारचेड मध्यप्र (यह त्यक्ष दश, उद्दरण ठा पश्चिक का प्रकार कार्यकान द्वारचेड मध्यप्र (यह त्यक्ष दश, उद्दरण ठा पश्चिक कार्यक्षमात्र कार्यकान द्वारच	नाता है,
(copy of passbook/cancelled cheque should be enclosed अन्य बैंकों में खाता:	1)	ভা না আকাউনে	' লাम টর নাম		
(पासबुक/रद्द चेक की प्रति संलग्न की जानी चाहिए) অन्যान्। ব্যাক্ষে অ্যাকাউন্ট: (भागवर-धा कभि गठिन का एक मध्युक काट हर)					
IFSC आईएफएससी আहेवङवननि	∟∟∟∟ बैंक व	Name চা লাম ক্ষের নাম		Branch Name থান্তা কা নাম শাখার নাম	
F) NOMINATION DETAILS (FORM DA1) ² नामांकन विवरण (फॉर्म डीए 1)* निम्तिन्त्रात्व विवर्ग (फॉर्म डीए 1)*	(नामांकन केवल व्यक्तियों के लिए व	riduals only and one Individual nominee is per लागू है और एक व्यक्तिगत नामिती की अनुमति है। জন্য প্রযোজ্য এবং একজন স্বতম্ত্র নমিনী অনুমোদিত)	nitted.)		
Yes, I/We wish to nominate (as per detail हां, मैं / हम नामांकित करना चाहते हैं (नीचे दिए श शो आमि आमता नीरत्ने कत्रट हाँश् निट्ड विवत्न अनुश	गए विवरण के अनुसार)	l would like to inform नहीं, मुझे /हमें नामांक तथापि, मैं आपको सूचि	you that I do not wish to ा सुविधा के लाओं के बारे में त करना चाहूंगा कि मैं खाते नत সুविधा সম्পर्क गुाध्या कता दरह	its of the nomination facility. However, provide nomination for account. समझाया गया है। के लिए नामांकन प्रदान नहीं करना चाहता हूं। एष्ट। याইरशक, आभि आंभनारक জानार७ ठाँदे राय आभि	
Nomination under Section 45 ZA of the E बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनिय निम्पत्मन गाुंबिश दाखलमन जाुंग्डें, ১৯৪৯ এর ধারা ৪৫ জেড	यम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग वं		1) के तहत नामांकन।	les 1985 in respect of bank deposits.	
I / We (Name)		(Address)			
nominate the following person to whom मैं / हम (नाम)	in the event of my / our / minor	s death the amount of deposit in (पता)	the above account, m	nay be returned by UTKARSH SMAL	L FINANCE BANK.
निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करें जिसे मेरी / हमारी		· ·	वारा वापस की जा सकती है।		
আমি/আমরা (নাম) নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে নমিনেট করছি যাকে আমার/আমাদের/নাবা	ালকের মৃত্যু হলে উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে জমা রা				
Nominee Name	, "	`	_ Address : Please	🗸 if same as primary applicant 🔲 ादि प्राथमिक आवेदक के समान है	
নমিনীর নাম				দিন যদি ঐ ব্যাক্তি প্রাথমিক আবেদনকারী হন	
If different from primary applicant यदि प्राथमिक आवेदक से अलग है প্राथमिक আবেদনকারী থেকে যদি ভিন্ন হয়					
Relationship with depositor, if any जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो क्ष्मामानकांत्रीत সঙ্গে সম্পর্ক, यদি থাকে কোন		ge Years इम्र साल शम वष्ट्र	यदि नामिती अव	minor, his / her date of birth: वयस्क है, तो उसकी जन्म तिथि: নাবালক হন, বালক/বালিকার জন্ম তারিখ:	MMYYYY
^ If the nominee is a minor on this date, and Address:	I / We appoint (Name)			, Relationship with the m	inor
to receive the amount of the deposit on	behalf of the nominee in the eve	nt of my / our / minor's death dur	ing the minority of the	e nominee.	
^यदि नामिती इस तारीख को अवयस्क है, तो मैं /	हम नियुक्त करते हैं (नाम)			, अवयस्क के साथ	मंबंध
और पता:	A A 60-6 4				
मेरी / हमारी / अवयस्कता के दौरान अवयस्क व ^ यिं । यें वार्विश शर्यं निमनी नावानक रून, व्यामि/व्यामता (न	· ·	र स जमा सारा प्राप्त करन क लिए।		্ নাবালকের সঙ্গে স	reyá
वनः क्रिकानाः				יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	

নমিনীর নাবালক হওয়ার দরুন নমিনীর পক্ষ হয়ে আমি/আমাদের/নাবালকের মৃত্যু হলে জমা করা রাশি গ্রহণ করবে।

Witness 1 गवाह 1 Place	** Name & Signature of primary holder ** মাথসিক धাरक कা নাম और हस्ताक्षर ** প্রাথমিক ধারকের নাম এবং স্বাকর Address / पता / ফ্রিকানা
Witness 2 गवाह 2 स्थान दिनांक प्राक्षी 3 श्वान ठांद्रिय Name Signature नाम हस्ताक्षर नाभ हस्ताक्षर नाभ वाकन Address/ पता/ क्रिकाना वाकन	Signature of Joint holder 1 (Wherever applicable) (Wherever applicable) संयुक्त धारक के हस्ताक्षर 1 (जहां भी लागू हो) (वीब शहरू ১-এর স্বাক্ষর (বেষ্টের প্রবেষ) (ত্বার্ট প্রবেষ্টার বিশেষ বিশ্ব

^ প্রযোজ্য কেবলমার যদি নমিনী নাবালকে হন 💮 ** যখন নাবালকের নামে আমানত জমা করা হবে নমিনেশন সেই ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে যিনি নাবালকের পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্য আইন দ্বারা অনুমোদিত হবেন।

TERMS & CONDITIONS/ नियम एवं शर्तें/ নিয়ম এবং শতাবলীগুলি

"Term deposit" means an interest bearing deposit received by the Bank for a fixed period and shall also include deposits such as Recurring/ Cumulative/ Annuity/ Reinvestment deposits and Cash Certificates. The payment of the maturity of the proceeds will usually be made by credit to the account of the deposit holder or by Demand Draft at the option of the term deposit holder(s). Minimum tenor of the deposit offered is seven days. The payout of interest on Term Deposits under Monthly Interest Certificate scheme, takes place at a discounted rate as prescribed under the IBA guidelines. The payout of interest for Quarterly Interest Certificate is applied on Simple Interest basis. Also for Term Deposits with tenure below 181 days, interest will be calculated on maturity at simple interest. In case of Monthly & Quarterly interest pay-out option, interest credit in the account will be done at Anniversary Month/Quarter (from the Effective Date of opening)

"साविष जमा" का अर्थ है एक निश्चित अविध के लिए बैंक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ब्याज वहन करने वाला जमा और इसमें आवर्ती / संचयी / वार्षिकी / पुनर्निवेश जमा और नकद प्रमाण पत्र जैसी जमाएं भी शामिल होंगी। आय की परिपक्वता का भुगतान आमतौर पर जमा धारक के खाते में क्रेडिट द्वारा या साविध जमा धारक(कों) द्वारा चयन किए गए विकल्प के आधार पर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। दी गई जमा राशि की न्यूनतम अविध सात दिन होती है। मासिक ब्याज प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत साविध जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान आईबीए दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा निर्धारित रियायती दर पर किया जाता है। तिमाही ब्याज प्रमाण पत्र के लिए ब्याज का भुगतान साधारण ब्याज के आधार पर लागू किया जाता है। इसके अलावा 181 दिनों से कम अविध वाली साविध जमा के लिए, ब्याज का परिकलन साधारण ब्याज पर परिपक्वता पर किया जाएगा। मासिक और त्रैमासिक ब्याज भुगतान विकल्प के मामले में, खाते में ब्याज क्रेडिट वर्षगांठ महीने / तिमाही (खोलने की प्रभावी तारीख से) पर किया जाएगा।

Premature Encashment: / समय से पहले नकदीकरण: / সময়ের পূর্বে নগদীকরণ:

- a) Term deposit booked under "Premature withdrawal not allowed" option cannot be withdrawn till maturity. "समय पूर्व निकासी की अनुमति नहीं" विकल्प के तहत बुक की गई सावधि जमा को परिपक्वता तक वापस नहीं लिया जा सकता है। "সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার অনুমোদিত নয়" বিকল্পের অধীনে বুক করা মেয়াদী আমানত পরিপক্কতা পর্যন্ত তোলা যাবে না।
- c) In case the term deposit is closed prematurely, before completion of the minimum period of 7 days, no interest shall be paid for the said term deposit. यदि सावधि जमा समय से पहले, 7 दिनों की न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले बंद हो जाता है, तो उक्त सावधि जमा के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रशास आराप विश्व के स्थास के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रशास आराप विश्व के स्थास के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- d) The deposits of the Bank are insured with DICGC and in case of liquidation of the Bank, DICGC is liable to pay each depositor through the liquidator, the amount of his/her deposit upto ₹5 lakh within 2 months from the date of claim list from the liquidator.
 - बैंक की जमाराशियों का डीआईसीजीसी के साथ बीमा किया जाता है और बैंक के परिसमापन के मामले में डीआईसीजीसी परिसमापक के माध्यम से दावा सूची प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।
 - ব্যাফের আমানতগুলি ডিআইসিজিসি-র কাছে বীমা করাথাকে এবংকোন কারণে ব্যাফের অবসান হলে, লিকুইডেটর থেকে প্রাপ্ত দাবি তালিকার তারিখ থেকে ২ মাসের মধ্যে পুরুষ/প্রী-র আমানতের পরিমাণ ই৫ লক্ষ পর্যন্ত ডিআইসিজিসি প্রতিটি আমানতকারীকে লিকুইডেটরের মাধ্যমে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ থাকে।
- e) In the event of the death of one of the depositor, premature termination and payment of Term Deposits held in 'Either or Survivor' or 'Former or Survivor' or 'Any one or Survivor' basis shall be allowed to survivor/s. Such payment to survivor/s shall give valid discharge to the Bank. Such premature withdrawal shall not attract any penal charge. However, the interest rate shall be the rate applicable for the period the deposit has remained with the Bank or the contracted rate, whichever is lower.
 - जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु की स्थित में, 'दोनों में से कोई या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई एक या उत्तरजीवी' आधार पर रखी गई सावधि जमाओं की समयपूर्व समाप्ति और भुगतान की अनुमति उत्तरजीवी'।उत्तरजीवियों को देता जाएगी। उत्तरजीवियों को ऐसा भुगतान करने पर बैंक वैध रूप से अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। इस तरह की समय पूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुक्क नहीं लगेगा। हालांकि, जब जमा बैंक के पास रही है उस अवधि के लिए ब्याज दर या अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लागू होगी।
 - আমানতকারীর যেকোন একজনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, 'কোন একজন বা উত্তরজীবী বা প্রাক্তন বা উত্তরজীবী বা প্রাক্তন বা উত্তরজীবী বা প্রাক্তন বা উত্তরজীবী বা প্রাক্তন বা উত্তরজীবী কা ক্ষান্ত ক্রমেন বা উত্তরজীবী ক্রমিন বা ক্রমেন বা উত্তরজীবী ক্রমিন বা ক্রমেন বা উত্তরজীবী ক্রমিন বা ক্রমেন বা
- f) In case the mode of operation is 'Either or survivor' or 'Former or Survivor' or 'Anyone or Survivor', in the event of the death of one of the deposit holder, premature withdrawal is required by the survivor: In the event of the death of either one of us, the survivor, if he / she so request the Bank, to prematurely withdraw the said deposit without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holder, the Bank is entitled to honour the same.
 - यदि संचालन का तरीका ' दोनों में से कोई या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई भी या उत्तरजीवी' है. तो जमा धारक में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी देवारा समय से पहले निकासी की आवश्यकता होती है. हम में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, यदि उत्तरजीवी बैंक से मृत संयुक्त जमा धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना उक्त जमा राशि को समय से पहले वापस लेने के लिए अनुरोध करता है, तो बैंक इस अनुरोध का सम्मान करने का हकदार है পরিচালনের ধরণ यिन 'टकान এकজन वा উত্তরজীবী' वा'शालन वा উত্তরজীবী वा'रा रकानও এकজन वा উত্তরজীবী रट्न, আমানতকারীদের মধ্যে এकজনের মৃত্যু হলে, উত্তরজীবী বা'लालन वा উত্তরজীবী वा'लालन वा उज्जवार का अवस्था के सम्मान करने का हक्या के सम्मान करने का हक्या स्था अकलनात स्था अकलनात स्था अकलनात स्था अकलनात स्था अकलनात स्था अकलनात स्था अवस्था के सम्मान करने का हिल्ला स्था अवस्था के सम्मान करने का सम्मान करने का हक्या सम्भाव सम्मान सम्मान सम्भाव सम्मान सम्मान करने का हक्या सम्मान करने का हक्या सम्मान करने का सम्मान करने का सम्मान करने का हक्या सम्मान करने का हक्या सम्मान करने का सम्मान करने सम्म

We further affirm that payment of the proceeds of such deposit to the survivor represents a valid discharge of the Bank's liability provided. (i)There is no order from a competent court restraining the Bank from making the payment from the said account. (ii) That the survivor would be receiving the payment from the Bank as a trustee of the legal heirs of the deceased depositor and that such payment to him/her shall not affect the right or claim that any person/s may have against the survivor to whom the payment is made. हम आगे पृष्टि करते हैं कि उत्तरजीयों को ऐसी जमा राशि की प्राप्तियों का भुगतान, बैंक की देयता वैध रूप से पूरी किए जाने का प्रतिविधित्व करता है, बशर्त (i) सक्षम न्यायालय से ऐसा कोई आदेश नहीं है जो बैंक को उक्त खाते से भुगतान करने से रोकता हो। (ii)

ত্তৰ সংকাৰী কৰি से मृतक जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में भुगतान प्राप्त होगा और उसे ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावें को प्रभावित नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति का उस उत्तरजीवी के विरुद्ध हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है। আমৱা আৱও নিশ্চিত করি যে জীবিত ব্যক্তিকে এই ধরনের আমানতের আয়ের অর্থ প্রদান করে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত দায়বন্ধতার একটি বৈধ নিষ্কাশন চিত্রিত করে।(i) উল্লিখিত আকাউণ্ট থেকে অর্থপ্রদান করে ব্যাঙ্ককে এই ধরনের আমানতের আয়ের অর্থ প্রদান করে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত দায়বন্ধতার একটি বৈধ নিষ্কাশন চিত্রিত করে।(i) উল্লিখিত আকাউণ্ট থেকে অর্থপ্রদান করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে নিষেধ করার জন্য উপযুক্ত আদালতের কোনও আদেশ নেই।(ii) জীবিত ব্যক্তিকে এই ধরনের অর্থপ্রদান তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি/দের অধিকার বা দাবিকে প্রভাবিত করবে না।

- g) Where the deposit is held singly and premature withdrawal is required by the nominee in the event of death of the deposit holder. (i) In the event of my death, the nominee named for the deposit is entitled to prematurely withdraw the said deposit, if he/she so requests the Bank, without seeking the concurrence of my legal heirs. I further affirm that payment of the proceeds of such deposit to the nominee represents a valid discharge of the Bank's liability (ii) That the nominee would be receiving the payment from the Bank as a trustee of the legal heirs of the deceased depositor and that such payment to him/her shall not affect the right or claim that my legal heirs may have against the nominee to whom the payment is made.

 जहां जमा राशि अंकेले रखी जाती है और जमा धारक की मृत्यु की स्थिति में नामिती द्वारा परिपक्वता से पहले निकासी की आवश्यकता होती है। (i) मेरी मृत्यु की स्थिति में, जमा राशि के लिए नामिती यदि मेरे कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमिति के बिना, बैंक से निकासी अनुरोध करता है, तो वह समय से पहले उक्त जमा राशि वापस लेने का हकदार है। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि नामिती को ऐसी जमा राशि की प्राप्तियों का शुगतान बैंक की देयता के वैध निर्वहन का प्रतिनिधित्व करता है (ii) कि नामिती
- h) All encashment or withdrawals of Term Deposit with repayment instruction as direct credit to the linked account can be executed at any Utkarsh Small Finance Bank branch.

लिंक्ड खाते में प्रत्यक्ष क्रेडिट के रूप में पूनर्भुगतान निर्देश के साथ सावधि जमा के सभी नकदीकरण या निकासी किसी भी उत्कर्ष लघु वित बैंक शाखा में निष्पादित की जा सकती हैं। মেয়াদী আমানতের সমস্ত নগদীকরণ বা প্রত্যাহার করার নির্দেশ লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্টে সরাসরি ক্রেডিট হবে যা যেকোনও উৎকর্ষ সাল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক শাখায় কার্যকর করা যেতে পারে।

- An overdue term deposit or its portion may be renewed from the date of Maturity, provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal does not exceed 14 days. The rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity. If the overdue period is more than 14 days and if the deposit or places the entire amount of overdue deposit or at least the principal amount of deposit as a fresh term deposit, interest may be paid for the overdue period on the amount so placed as a fresh deposit at the rate decided by the Bank.
 - अतिदेय सावधि जमा या उसके हिस्से को परिपक्वता की तारीख से नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्त परिपक्वता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक न हो। इस प्रकार नवीनीकृत जमा राशि पर देय ब्याज की दर परिपक्वता की तारीख को प्रचलित नवीकरण की अविध के लिए ब्याज की उपयुक्त दर होगी। यदि अतिदेय अविध 14 दिनों से अधिक है और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या कम से कम जमा की मूल राशि को नई साविध जमा के रूप में रखता है, तो बैंक द्वारा तय की गई दर पर नई जमा के रूप में रखी गई राशि पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जा सकता है
 একটি বিলম্বিত মেয়াদি আমানত বা এর অংশ মেয়াদপূর্তির তারিখবা তার পরেও পুননবীকরণ করা যেতে পারে, তবে মেয়াদ পূর্তির পরে পুননবীকরণ ১৪ দিনের মধ্যেই করতে হবে। এই প্রকার পুননবীকরণ করা আমানতের উপর দেয় সুদের হার পুননবীকরণের সময়কালের জন্য পরিপক্কতার
 - তারিখে বিদ্যমান উপযুক্ত সুদের হার হবে। যদি বিলম্বের সময় ১৪ দিনের বেশি হয় এবং যদি আমানতকারী বিলম্বিত আমানতের পুরো পরিমাণ বা অন্তত আমানতের মূল পরিমাণ নতুন টার্ম ডিপোজিট হিসাবে রাখে, তাহলে নতুন আমানত হিসাবে রাখা পরিমাণের উপর অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুদ প্রদান করা যেতে পারে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হার।
- The pre-mature withdrawal of deposit(s) will require consent and signature of all the depositor(s) irrespective of mode of operations (if all depositors are alive). जमा (ऑ) की समय पूर्व निकासी के लिए सभी जमाकर्ताओं की सहमति और हस्ताक्षर (यदि सभी जमाकर्ता जीवित हैं) की आवश्यकता होगी, चाहे संचालन का तरीका कुछ भी हो। আমানত (ঙলি) সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার করার জন্য সমস্ত আমানতকারীর সন্মতি এবং স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে পরিচালনের ধরণ নির্বিশেষে (যদি সমস্ত আমানতকারী জীবিত থাকে)।
- I/we have been informed about the applicable penal interest rate for premature withdrawal. मुझे समय पूर्व निकासी के लिए लागू दंडात्मक ब्याज दर के बारे में सूचित किया गया है। আমাকে/আমাদের সময়ের পূর্বে প্রত্যাহারের জন্য প্রযোজ্য পেনাল্টি সুদের হার সম্পর্কে জানানো হয়েছে
- Premature withdrawal of deposit will attract 1% Penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank or 1% less than the contracted rate whichever is lower.

जमा की समय पूर्व निकासी पर 1% जुर्माना लगेगा यानी जिस अविधि के लिए जमा बैंक के पास रहा है उसके लिए जमा की तारीख को कार्ड दर से 1% कम, या अनुबंधित दर से 1% कम, जो भी कम हो। আমানতের সময়ের পূর্বে প্রত্যাহারের উপর ১% জরিমানা ধার্য হবে অর্থাৎ আমানতের তারিখ অনুযায়ী কার্ডের হারের থেকে ১% কম হবে, যে সময়ের জন্য আমানত ব্যাক্তে জমা রয়েছে বা চুক্তিবন্ধ হারের থেকে ১% কম, যেটি কম হবে।

- m) The calculation of interest is basis 365 days in a year for the deposit booked in a non-leap year and 366 days in a year for a deposit booked in a leap year. ब्याज का परिकलन एक गैर-लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 365 दिनों और लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 366 दिनों के आधार पर किया जाता है। সুদের গণনা একটি লীপ ইয়ার নয় এমন বছরে বুক করা আমানতের জন্য বছরে ৩৬৫ দিন এবং লিপ ইয়ারে বুক করা আমানতের জন্য বছরে ৩৬৬ দিন।
- Non-Callable FDs cannot be withdrawn before the maturity period. This means these deposits are completely locked and individuals or depositors do not have any authority to call or withdraw their FD investments before maturity. गैर-प्रतिदेय एफडी को परिपक्वता अवधि से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जमा परी तरह से लॉक हैं और व्यक्तियों या जमाकर्ताओं के पास परिपक्वता से पहले अपने एफडी निवेश को कॉल करने या वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।
 - और ब्याज के बिना 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) शामिल है

নন-কলেবেল এফডিগুলি পরিপক্ত তার আগে প্রত্যাহার করা যাবে না। এর অর্থ হলো এই আমানতগুলি সম্পূর্ণভাবে লক করা থাকে এবং ব্যাক্তি অথবা আমানতকারীর কোনও ক্ষমতা থাকে না পরিপক্ত তার আগে এফডি বিনিয়োগগুলিকে কল করার বা প্রত্যাহার করার।

Tax deduction at source/ स्रोत पर कर कटौती/ উত্স থেকে কর কর্তন

- In case of renewed deposits, the new deposit amount consists of the original deposit amount plus interest less Tax Deducted at Source (TDS) if any, less compounding effect of TDS. For reinvestment deposit, the interest reinvested is post TDS recovery and hence the maturity amount for reinvestment deposits would vary to the extent of tax and compounding effect on tax for the period subsequent to deduction till maturity. If Deposit is opened under Monthly/Quarterly Interest Payment Mode, then the renewed deposit shall not comprise of the interest part. नवीनीकृत जमाराशियों के मामले में, मूल जमा राशि और स्रोत पर ब्याज शामिल होता है लेकिन इसमें नई जमा राशि में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), यदि कोई हो और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के चक्रवृद्धि प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है। पुनर्निवेश जमा के लिए, पुनर्निवेशित किए जाने वाला ब्याज में से टीडीएस वसूली को घटाया जाता है और इसलिए पुनर्निवेश जमाओं के लिए परिपक्वता राशि का परिकलन परिपक्वता तक कटौती के बाद की अवधि के लिए कर और कर पर चक्रवृद्धि प्रभाव की सीमा को घटाकर किया जाता है। यदि जमा मासिक / त्रैमासिक ब्याज भुगतान मोड के तहत खोला जाता है, तो नवीनीकृत जमा में ब्याज का हिस्सा शामिल नहीं होगा।
 - পুননবিকরণ আমানতের ক্ষেত্রে, নতুন জমারাশির মধ্যে মূল জমারাশির এবং সুদের ওপর কর কর্তন (টিডিএস) না করে সুদ, যদি কিছু থাকে, টিডিএস-এর চক্রবৃদ্ধি প্রভাব কম করা হয়ে থাকে। পুনবিনিয়োগ আমানতের জন্য, পুনবিনিয়োগ করার সুদ টিডিএস পুনরুদ্ধারের পরে হয় আর এইজন্যই পুনবিনিয়োগ করার জন্য পরিপক্ষতার অর্থ করের সীমা এবং পরিপক্ষতা অবধি কর্তনের পরে সময়ের জন্ম করের উপর চক্রবৃদ্ধি প্রভাব কার্যকর হবে। যদি আমানত মাসিক/ ত্রৈমাসিক সুদ পরিশোধ ধরণের অধীন খোলা হয়, তাহলে পুননবিকরণ আমানতে সুদের অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- No deduction of tax shall be made for taxable interest in the case of individual resident in India, if such individual furnishes to the Bank, a declaration in writing in the prescribed form 15G/15H (as applicable, with PAN CARD details) to the effect that the tax on his/her estimated total income for the year in which such interest income is to be included in computing his/her total income will be NIL. TDS rates will be as applicable from time to time as per the Income Tax Act, 1961 and Income Tax rules (which are subject to change as per directives of Ministry of Finance, Govt. of India). If TDS is not to be deducted, please submit Income Tax Exemption letter along with this Form.

भारत में ट्यक्तिगत निवासी के मामले में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक को निर्धारित फॉर्म 15 जी /15 एच (जैसा कि लागू हो, पैन कार्ड विवरण के साथ) में लिखित में एक घोषणा प्रस्तृत करता है कि उस वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा जिसमें ऐसी ब्याज आय को उसकी कुल आय के परिकलन में शामिल किया जाना है। टीडीएस दरें आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियमों (जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं) के अनुसार समय-समय पर लागू होगी। यदि टीडीएस नहीं काटा जाना है, तो कृपया इस फॉर्म के साथ आयकर छूट पत्र जमा करें। ভারতে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে করযোগ্য সুদের জন্য কোনও কর কর্তন করা হবে না, যদি এই রকম অ-ব্যক্তিক ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট ফর্ম ১৫জি - তে (যেমন প্রযোজ্য, প্যান কার্ডের বিবরণ সহ) স্বাক্ষর করে লিখিত রূপে ঘোষণা করে জানিয়েছে যে তার উপর সেই বছরের জন্য

আনুমানিক মোট আয় যার মধ্যে এমন সুদের আয় যা তার মোট আয়ের অন্তর্গত গণনা করা হবে, শূন্য হবে। আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং আয়কর বিধি (যা ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে) অনুসারে সময়ে সময়ে সময়ে সময়ে ইডিএস-এর হারগুলি প্রযোজ্য হবে। যদি টিডিএস কাটাতে না হয়, দয়া করে এই ফর্মের সাথে আয়কর ছাডপত্র জমা দিন।

Form 15G/H is required to be submitted separately for each financial year.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 15 जी / एच अलग से जमा करना आवश्यक है। ফর্ম ১৫জি/এইচ প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

The Bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non-submission of form 15G/15H.

बैंक, फॉर्म 15जी /15एच के विलंब से जमा होने या गैर-जमा होने के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ দেরি করে বা জমা না দেওয়ার কারণে উদ্ভূত কোনো পরিণতি বা ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

- As per section 139A(5A) of the income Tax Act, every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provision of income tax act shall provide his/her PAN number to the person responsible for deducting such tax. In case the PAN number is not provided the Bank shall not be liable for the non availment of the credit of tax deducted at source.
 - आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5 ए) के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत आय की ऐसी कोई भी राशि जिसमें से कर काटा गया है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह की कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करेगा। यदि पैन नंबर प्रदान नहीं किया जाता है तो बैंक स्रोत पर काटे गए कर के क्रेडिट का लाभ नहीं मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
 - আয়কর আইনের ধারা ১৩৯এ(৫এ) অনুসারে, আয়কর আইনের বিধানের অধীনে প্রত্যেক ব্যাক্তিকে যে কোনো পরিমাণ আয় বা অর্থ যা খেকে কর কর্তন করা হয়েছে তার প্যান নম্বর প্রদান করতে হবে এই ধরনের কর্তনের জন্য দায়ী ব্যক্তির কাছে। যদি প্যান নম্বর প্রদান না করা হয় তাহলে কর কর্তনকৃত উৎসের ক্রেডিট না পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
- PAN is required to be submitted to the Bank for Fixed deposit of ₹50,000/- or more.

₹50,000/- या उससे अधिक की सावधि जमा के लिए बैंक को पैन जमा करना आवश्यक है।

০/- বা তার বেশি টাকার স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাক্কে প্যান জমা দিতে হবে।

- PAN is required to be submitted to the Bank at a time of Term Deposit of amount exceeding ₹50,000 or once and/or the aggregate Term Deposit amount (including accrued interest) in a financial year exceeds ₹5,00,000/- with the Bank. In case, the PAN number is not provided to the Bank, the Bank shall not be liable for the non-availment of credit of Tax deducted at source and nonissuance of TDS certificate
 - ₹50,000/- से अधिक की सावधि जमा के समय या एक बार और/या किसी वितीय वर्ष में कुल सावधि जमा राशि (अर्जित ब्याज सहित) बैंक के पास ₹5,00,000/- से अधिक हो जाती है तो पैन बैंक में जमा करना आवश्यक है। यदि बैंक को पैन संख्या प्रदान नहीं की जाती है, तो स्रोत पर काटे गए कर का क्रेडिट ग्राहक को प्राप्त नहीं होने और टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
 - ₹৫০,০০০/- বা একবারের বেশি মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে এবং/অথবা একটি আর্থিক বছরে সামগ্রিক মেয়াদী আমানতের পরিমাণ (অর্জিত সুদ্ধ সহ) ₹৫,০০,০০০/--এর বেশি হলে ব্যাহেঙ্গ প্যান জমা দিতে হবে। যদি ব্যাঙ্গকে প্যান নম্বর প্রদান করা না হয়, তাহলে উৎসে কর্তনকৃত করের ক্রেডিট না পাওয়ার জন্য এবং টিডিএস শংসাপত্র জারি না করার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
- As per section 206 AA introduced by Finance (no.2) Act. 2009 w.e.f. 01.04.2010, every person who receive income on which TDS is deductible shall furnish his/her PAN falling which TDS shall be deducted as at the rate of 20% in case of domestic deposits "Please further note that the absence of PAN, form 15G/15H and other exemption certificate will be invalid even if submitted & penal TDS will be applicable."
 - वित (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 01.04.2010 से शुरू की गई धारा 206 एए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौती योग्य है, उसे अपना पैन प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर घरेलू जमाओं के मामले में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। कृपया आगे ध्यान दें कि पैन की अनुपस्थित में, फॉर्म 15जी और अन्य छूट प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, भले ही वे जमा किया गए हों और दंडात्मक टीडीएस लागू होगा.
 - ফাইন্যাপ নেং ২) আইন ২০০৯ কার্যকরী ০১.০৪.২০২০, দ্বারা প্রবর্তিত ধারা ২০৬ এএ অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে উপার্জন করেন যার উপর টিভিএস কাটা যায় তার প্যান জমা দিতে হবে যা ঘরোয়া আমানতের ক্লেত্রে ২০% হারে টিভিএস কাটা হবে "দয়া করে আরও নোট করুন যে প্যানের অনপস্থিতি, ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ এবং অন্যান্য ছাডের শংসাপত্র জমা দিলেও অবৈধ হবে এবং শাস্তিমলক টিডিএস প্রযোজ্য হবে।"
- The above terms and conditions are subject to change as per regulatory guidelines issued from time to time.

उपर्युक्त निबंधन और शर्ते समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। উপরোক্ত শর্তাবলীঙলি সময়ে সময়ে জারি করা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে।

- A new section 206AB introduced in the Finance Bill, 2021 w.e.f 01. 07.2021 for deduction of tax at source at higher rates i.e 20% (for interest on deposit where prevailing TDS rate is 10%) if an amount is paid or payable to the specified person who did not file the income tax return for respective year as mentioned in said section.
 - 01. 07.2021 से वित्त विधेयक, 2021 में एक नई धारा 206एबी पेश की गई है जिसके अनुसार यदि उक्त धारा में उल्लिखित संबंधित वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाता है या देय है तो उच्च दरों अर्थात 20% (जमा पर ब्याज के लिए जहां प्रचलित टीडीएस दर 10% है) पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
 - ফাইন্যান্স বিল ২০২১, ০১.০৭.২০২১ থেকে, একট নতুন ধারা ২০৬এবি প্রবর্তিত হয়েছে, উল্লেখিত বিভাগে উল্লেখ করা আছে, যে যদি নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে অর্থ প্রদান করা হয় অথবা প্রদেয় হয় যিনি সংশ্লিষ্ট বছরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন নি তার উচ্চ হারে উত্সথেকে কর কর্তনের জন্য অর্থাত ২০% (আমানতের সুদের জন্য যেখানে বিদ্যমান টিডিএস-এর হার১০%)।
- The extant TDS law requires tax to be deducted in case the projected interest exceeds threshold limit (₹50,000/- for senior citizens and ₹40,000/- for others). This threshold limit is to be calculated at the time of payment/credit of interest. Subsequently, in case the total interest falls below the threshold limit due to premature withdrawal of one or more FDs, the TDS deducted on

earlier occasions will not be refunded. The deposit holder can claim the credit for TDS while filing his/her income tax return. वर्तमान टीडीएस कानून में अनुमानित ब्याज सीमा (विरष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000/- और अन्य के लिए ₹40,000/-) से अधिक होने की स्थित में कर कटौती की आवश्यकता होती है। इस सीमा की गणना ब्याज के शुगतान/क्रेडिट के समय की जानी होती है। इसके बाद, यदि एक या एक से अधिक सावधि जमा की समय पूर्व निकासी के कारण कुल ब्याज सीमा से नीचे चला जाता है, तो पहले के अवसरों पर काटा गया टीडीएस वापस नहीं किया जाएगा। जमा धारक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए

केडिट का दावा कर सकता है।

বিদামান টিভিএস আইনে প্রত্যাশিত সুদ প্রেশহোল্ড সীমা ছাড়িয়ে গেলে কর কাটার প্রয়োজন (প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ₹৫০,০০০/- এবং অন্যদের জন্য ₹৪০,০০০/-)। এই প্রেশহোল্ড সীমাটি গণনা করতে হবে সুদের অর্থপ্রদান/ক্রেডিট করার সময়। পরবর্তীকালে, যদি এক বা একাধিক এফডি সময়ের পূর্বেপ্রত্যাহারের কারণে মোট সুদ প্রেশহোল্ড সীমার নীচে চলে যায়, তবে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে কাটা টিভিএস কেরত দেওয়া হবে না। আমানতকারী তার আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় টিভিএস-এর জন্য ক্রেডিট দাবি করতে পারেন।

Bank reserves the right to make any changes in terms and conditions mentioned & same will be updated in Banks website www.utkarsh.bank. ৰঁক उल्लिखित नियमों एवं शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे बैंक की वेबसाइट <u>www.utkarsh.bank</u> में अपडेट किया जाएगा। ব্যাহ্ষ উল্লিখিত নিয়ম ও শৰ্তাবলীর যেকোনো পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তা ব্যাহেন্দর ওয়েবসাইট www.utkarsh.bank-এ আপডেট করা হবে।

G) DECLARATION:/ঘাষণা:/ঘোষণা

मैंने/हमने उत्कर्ष लघु वित बैंक में खाता खोलने और विभिन्न सेवाओं से सबधित नियमों एव शर्तों (पीछे की ओर उल्लेख किए गए) को पढ़ा और समझा है। मैं/ हम इन शर्तों, जिनमें बैंक की देयता को देयता से मुक्त करने वाली या बैंक की देयता को सीमित करने वाली शर्ते भी शामिल हैं, स्वीकार करते हैं और इनका पालन करने के लिए सहमित व्यक्त करते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर पूर्व सूचना देने के बाद किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है, हम इससे सहमित व्यक्त करते हैं।

আমি/আমরা উত্কর্ষ মূল ফিনান্স ব্যান্ধ এবং বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি আকাউণ্ট খোলার নিয়ম ও শর্তাবলী (অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত) পড়েছি এবং বুরোছি। আমি/আমরা স্বীকার করি এবং ব্যান্ধের দায়বদ্ধতা বাদ দেওয়া/সীমাবদ্ধ করা সহ এটি মেনে চলতে সহমত পোষন করি। আমি/আমরা বুঝি যে, ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিকেচনার ভিত্তিতে, পূর্ব নোটিশ দেওয়ার পরে যেকোনও পরিষেবা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বন্ধ করে দিতে পারে, আমি/আমরা এর সাথে একমত।









(Branch need to verify the Customer Signature, Mode of Operation 6 put Signature Verification Stamp above) (शाखा को बाहक के हस्ताक्षर, संधालन के तरीके को सत्याधित करते और वहीं हस्ताक्षर करके सत्याधन मुद्द त्यागने की आवश्करता है)

DECLARATION BY THE BRANCH/ शाखा दवारा घोषणा/ শাখার ঘোষণা

DECEMBER OF THE BRUNESHY WAS ARREST WAS ARREST AND ARREST						
l hereby certify that this account opening form is complete in all respects and relevant documents have been obtained and verified. The Account may please be set up in CBS. मैं एतद्द्वारा द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इस खाते खोलने के फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है और प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए गए और सत्यापित किए गए हैं। कृपया सीबीएस में खाता बनाया जाए। আমি এতদ্বারা প্রত্যায়িত করছি যে এই অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্মটি সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং প্রাসম্বিক নথিঙলি প্রাপ্ত এবং যাচাই করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টটি দয়া করে সিবিএস-এ সেট আপ করা যেতে পারে।						
Lead Generator Code নীত্র কনবইব কীত্র শীড জেনারেটর কোড Lead Converter Code নীত্র কনবইব কীত্র শীড কনভাটার কোড						
Branch Head / Authorised Signatory ই্যাইদে প্ৰেল (লোক: খান্তা	ich Stamp का स्टाम्प शंद्र म्हेंगच्य					
CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT/ ग्राहक की पावती/ গ্রাহকের প্রাপ্তি স্বীকার						
Type of A/c*: Single Joint Fixed Deposit एफड़ी जिस एफड़ी जार का प्रकार.*: एकल संयुक्त विशेष अप्रतिकार का प्रकार.*: एकल संयुक्त विशेष अप्रतिकार का प्रकार का	(55m)					
Ref No. মহের্ম মা Gরফারেন্স নম্বর Please quote this reference no. for any future communication কৃষ্মা প্রতিষ্ঠান করিব রাজ্য আমিক কিছে রু মহের্ম মাইক করিব রুক্তর প্রবিধারে কেনেক্স কেনেক্স করের ইংরাছে হার্মী মানিনেশন গ্রহন করা হরেছে: বা আবা स्टाम्प বিভাগ মাইক করা হরেছে: বা আবা মাইক করা মাইক করা হরেছে: বা আবা মাইক করা মাইক করা মাইক করা হরেছে: বা আবা মাইক করা মাইক ক	anch Stamp के साथ बैंक हस्ताक्षर					